न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2026/02

प्रार्थी

मोहम्मद सलीम पुत्र श्री गुन्ना अहमद जाति गजधर निवासी गुवाड़ मोहल्ला गजधरों की गली मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नजमा पत्नि स्व0 इकबाल
2. मोहसीन पुत्र स्व0 इकबाल
3. सरफराज पुत्र स्व0 इकबान
4. सद्दाम पुत्र स्व0 इकबाल
   समस्त जाति गजधर निवासीगण गुवाड मोहल्ला, गजधरों की गली मकराना जिला डीडवाना–कुचामन
5. मनोहर सिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी दिलढ़ाणी तहसील मकराना
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ा जिला झुन्झुनू
7. विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी जूसरी तहसील मकराना
8. पूरण प्रकाश पुत्र बुद्धि प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर बाबत् फौजदारी प्रकरण संख्या 10/2015 बअनुवान मोहम्मद सलीम बनाम नजमा वगैरह

–:निर्णयः– **दिनांकः–25.03.2026**

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार से है किः–प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में एक प्रकरण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर फौजदारी प्रकरण संख्या 10/2015 बअनुवानः–मोहम्मद सलीम बनाम नजमा वगैरह में दिनांक 07.07.2015 से विचाराधीन है जिसमें दिनांक 12.04.2026 को प्रार्थी व अप्रार्थी को सुनकर खान नम्बर 158 चोसीरा गुणावती रेंज के दक्षिणी 12 फुट के मोहम्मद इकबाल पुत्र नन्नू जाति गजधर निवासी मकराना के हिस्से को लेकर प्रार्थी मोहम्मद सलीम का मोहम्मद इकबाल से सहमति व खरीद की दिनांक से कब्जा खनन चला आ रहा है उक्त 12 फुट को लेकर मोहम्मद इकबाल के वारिसान नजमा वगैरह व अन्य अप्रार्थी ने मिलकर प्रार्थी को परेशान किया था जिस पर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर ने उक्त क्षैत्र को कुर्क कर थानाधिकारी पुलिस थाना मकराना को रिसीवर नियुक्त कर तहवील में दिया था परन्तु दिनांक 12.04.2026 से आज दिनांक तक प्रार्थी मोहम्मद सलीम की उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सुनवाई न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में नहीं की है ना ही किसी गवाह को बयान के लिए बुलाया है केवल अप्रार्थीगण से मिलकर उक्त परिवाद को लम्बा कर रहे है और बार–बार बिना सुने ही तारीख पेशी दे रहे है। प्रार्थी को उक्त न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में विचाराधीन फौजदारी प्रकरण संख्या 10/2015 बअनुवानः–मोहम्मद सलीम बनाम नजमा वगैरह प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के अलावा अन्य किसी न्यायालय में हस्तान्तरण करने का आग्रह स्वयं के स्तर पर सुनवाई कर उक्त परिवाद का न्यायपूर्ण आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:10 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांकः–कोर्ट/2025/01/2026 दिनांकः–20.01.2026 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर के पत्रांकः–सामान्य/2026/162 दिनांकः–16.03.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय के प्रकरण अनुवानः–मोहम्मद सलीम बनाम नजमा मुकदमा संख्या 10/2015 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मकराना में विचाराधीन चल रहा था। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर के आदेश दिनांक 28.06.2015 की पालना में उपखण्ड मजिस्ट्रेट मकराना से इस न्यायालय में हस्तानान्तरण होकर प्राप्त हुआ था इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.04.2016 को खान संख्या 158 चौसीरा रेंन्ज गुणावती 12X30 फुट भूमि कुर्क कर रिसीवर थानाधिकारी पुलिस थाना मकराना को नियुक्त किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 12.04.2026 से इस न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण में न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर सुनवाई की जा रही है नवम्बर व दिसम्बर माह में चुनाव एसआईआर के कारण कोर्ट का कार्य कुछ दिवस कोर्ट स्थगित था इस कारण सुनवाई नहीं की जा सकी तत्पश्चात् प्रत्येक तारीख पेशी पर सुनवाई की जा रही है उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में विचाराधीन फौजदारी प्रकरण संख्या 10/2025 बअनुवान मोहम्मद सलीम बनाम नजमा वगैरह को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी में स्थानान्तरित किया जाता है। उभय पक्ष को सुचित किया जाता है कि वह प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी के समक्ष दिनांक 15.04.2026 को उपस्थित होवें। अधिनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक **25.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25.03.2026

(डॉ० महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested